"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330]　　रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2012—पौष 10, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से परामर्श पश्चात्, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संविदा नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**.— (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012" कहलाएंगे।
   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है शासन या ऐसा प्राधिकारी, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति, उस सेवा या पद से संबंधित भर्ती नियम में प्रदत्त हो अथवा शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाये;
   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
   (ग) "विभागीय भर्ती नियम" से अभिप्रेत है संबंधित सेवा या पद पर नियुक्ति हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम;
   (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(ङ) "उच्च पद" से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति के समय धारित पद से "एक उच्च पद";

(च) "सेवानिवृत्त शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त अथवा स्वैच्छिक या शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर सेवा मुक्त हुए शासकीय सेवक;

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— ये नियम प्रत्येक ऐसे पद/पदों के संबंध में एवं उन पर इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति या नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन पद/पदों को राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति का पद घोषित किया जाये।

4. **संविदा नियुक्ति के पद.**—निम्नलिखित पद संविदा नियुक्ति के पद कहलायेंगे :—

(1) ऐसे पद जो विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हों।

(2) विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि लगना संभावित हो।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनके लिये न्यूनतम अर्हता प्राप्त शासकीय सेवक उपलब्ध न होने के कारण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से पदोन्नति से पद की पूर्ति एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक संभव न हो।

(4) विभागीय भर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, ऐसे पद जिनके लिए विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता आवश्यक हो को राज्य सरकार अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में, लोक प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, संविदा नियुक्ति का पद घोषित कर सकेगी।

(5) मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की निजी स्थापना के ऐसे स्वीकृत पद जिन पर नियुक्ति मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की पदावधि (को-टर्मिनस) तक के लिये की जानी हो।

5. **नियुक्ति का तरीका.**— संविदा नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की जा सकेगी :—

(एक) नियम 4(1) में विहित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से;

(दो) नियम 4(2) एवं (3) में विहित पदों पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा;

(तीन) नियम 4(4) में विहित पदों पर, अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता तथा पद हेतु उसकी उपयुक्तता के आधार पर, वित्त विभाग की सहमति के उपरांत, सीधे संविदा नियुक्ति द्वारा;

(चार) नियम 4(5) में विहित पदों पर मुख्यमंत्री/मंत्रीगण द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की, पद के लिये निर्धारित अर्हता/पात्रता तथा उपयुक्तता के आधार पर।

6. **चयन समिति.**— (1) नियम 4(1) या (2) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये चयन समिति वही होगी जो विभागीय भर्ती नियम में विहित हो :

परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु चयन समिति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के स्थान पर, शासन, किसी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव को नामांकित कर सकेगा।

(2) चयन समिति के गठन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

7. **आयु सीमा.**– (1) संविदा नियुक्ति के लिये आयु सीमा वही होगी जो संबंधित पद या सेवा हेतु विभागीय भर्ती नियम में विहित हो:

परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।

(2) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिये दी जा सकेगी।

8. **नियुक्ति के लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड.**– (1) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामलों को छोड़कर, संविदा नियुक्ति के अन्य मामलों में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड वे ही होंगे, जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 एवं 6 में विहित है।

(2) (क) सीधी भर्ती के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ वही होंगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमों में विहित है;

(ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा;

(ग) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में विशेष प्रकरणों में उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उच्च पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर भी संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी।

9. **सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएँ.**– (एक) सेवा अभिलेखों में निष्ठा प्रमाणित नहीं होने पर;

(दो) सेवा अभिलेख में विगत तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण बहुत अच्छा अथवा/या उससे उच्च स्तर का न होने पर;

(तीन) विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होने पर;

(चार) सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दंडित होने पर;

(पाँच) पेंशन रोकने के दंड से दंडित होने पर;

(छः) सेवा से पदच्युत किये जाने/हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने पर;

(सात) दोष सिद्ध होने पर; एवं
(आठ) शासकीय सेवा के लिये अन्य सामान्य अनर्हतायें।

10. **आरक्षण.**— नियम 4(1) व (2) में विहित संविदा नियुक्ति के पदों पर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) एवं उसके अधीन समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे, साथ ही महिला एवं निःशक्तजन आदि के आरक्षण के लिए भी समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे।

11. **नियुक्ति की अवधि.**— (1) नियम 4(1) में उल्लिखित संविदा नियुक्ति के पदों पर, संविदा नियुक्ति प्रथम बार तीन वर्ष के लिये होगी, किन्तु राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी।
(2) नियम 4(2) एवं (3) में उल्लिखित पदों पर, संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी, तथापि विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।
(3) नियम 4(4) एवं (5) में उल्लिखित पदों पर, सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में, संविदा नियुक्ति उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर विशेष प्रकरण के तौर पर दिये जाने की स्थिति में, संविदा नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, जिसे आगे विभागीय आवश्यकता एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के अभिमत के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकेगा।
(4) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नही होगा।
(5) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12. **संविदा वेतन.**— (1) इस नियम के उप–नियम (2) के अंतर्गत उल्लिखित मामलों को छोड़कर, संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
(2) मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:—

(क) नियम 4(1) व (2) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन वह होगा जो वित्त विभाग समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे;

(ख) सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा;

(ग) संविदा नियुक्ति के विशेष प्रकरणों में, अधिवार्षिकी से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में अथवा/या विशेषज्ञता, अनुभव व विशिष्ट योग्यता के आधार पर संविदा नियुक्ति के मामले में, किसी पद पर/उच्च पद पर संविदा नियुक्ति दिए जाने की स्थिति में संबंधित पद का तत्समय प्रवृत्त वेतनमान संविदा की अवधि तक साथ ही अन्य देय आनुषंगिक लाभ सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से दिये जा सकेंगे।

13. **अवकाश की पात्रता.**– संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

स्पष्टीकरण– गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जाएगा तथा विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।

14. **यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायें.**– (1) विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत पद पर नियुक्त व्यक्ति को, उस पद के लिये निर्धारित यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।
(2) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति के मामले में, वे संबंधित पद/समकक्ष पद हेतु शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं हेतु पात्र होंगे।
(3) यदि संविदा नियुक्ति के किसी पद के लिये यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधायें नियमों में विहित नही हैं तो ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के समकक्ष पद पर नियुक्त शासकीय सेवक के समान यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

15. **अन्य शर्तें.**— (1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

(2) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

(3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।

(4) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/ उनके लिये बाध्यकारी होगा।

(5) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है:

परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।

(6) संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी तथा उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।

16. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

17. **नियमों में शिथिलीकरण का अधिकार.**— इन नियमों के किसी भी प्रावधान में शिथिलीकरण का अधिकार मंत्रिपरिषद् को होगा।

18. **निरसन तथा व्यावृति.**— इन नियमों के तत्स्थानी समस्त अन्य नियम और निर्देश जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु नये संविदा नियुक्ति नियम प्रभावशील होने के दिनांक के पहले की गई सभी संविदा नियुक्तियां इन नियमों के अंतर्गत की गई तथा वैध मानी जाएंगी तथा संविदा की शेष अवधि में उन पर पूर्व के नियुक्ति आदेश की सेवा शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 31st December 2012

NOTIFICATION

No. F 9-1/2012/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, after consultation with the Chhattisgarh Public Service Commission, hereby, makes the following rules relating to contractual appointment, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called "the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012".
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) In relation to any service or post "Appointing Authority" means the Government or the authority which has been conferred with the powers to make appointment to the service or post, under the recruitment rules applicable to the service or post, or by general or special order of the Government or which may be conferred hereafter;
(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;
(c) "Departmental Recruitment Rules" means service recruitment rules in force for appointment to the concerned service or post;
(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
(e) "Higher post" means "one post higher" than the post held at the time of retirement.
(f) "Retired Government Servant" means Government servant superannuated or voluntarily retired or Government servant relieved from Government service on tendering resignation;
(g) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**— These rules shall apply in relation to every such post/posts and to such persons appointed or who may be appointed under these rules on the post/posts declared as contract appointment post by the State Government under rule 4.

4. **Posts of Contract Appointment.-** The following posts shall be called as contract appointment post:-

(1) Such posts sanctioned as contract appointment posts in the departmental set up.

(2) Such sanctioned posts in regular establishment in the departmental set up which are likely to remain vacant for a period of one year or more due to unavoidable reasons.

(3) Such posts, which are likely to remain vacant for a period of one year or more due to non-availability of government servants having minimum eligibility requirement or because of unavoidable reasons it is not possible to fill up the post by promotion , with approval of General Administration Department

(4) Such posts, notwithstanding anything contained in departmental recruitment rules, which require specialization, experience and special qualification declared as contract appointment post by a general or special order in exceptionally special cases by the State Government to maintain the efficiency in public administration, except such post for which legal experience in the judicial service field is required under any law or rule for the time being in force

(5) Posts sanctioned in the personal establishment of Chief Minister/ Ministers on which appointment are to be made till the tenure of Chief Minister/Ministers (co-terminus).

5. **Method of Appointment.-** Contractual appointment may be made in the following manner:-

(1) for the posts mentioned under Rule 4(1), by way of public advertisement;

(2) for the posts mentioned in Rule 4(2) and (3), by contract appointment of retired government servants;

(3) for the posts mentioned in Rule 4 (4) in exceptional special cases, directly by contract appointment, of specific non-government person or retired government servant on the basis of specialization, experience, special qualification and his suitability for the post after approval of the Finance Department;

(4) for the posts mentioned under rule 4(5), person recommended by Chief Minister/Ministers considering the prescribed qualification, eligibility and suitability of the person for the post.

6. **Selection Committee.-** (1) Selection committee for contract appointment to the posts prescribed under rule 4(1) or (2) shall be same as prescribed in the departmental recruitment rules:

Provided that in the selection committee for contract appointment for the posts to be filled by the Chhattisgarh Public Service Commission, the State Government may nominate any Additional Chief Secretary, Principal Secretary or Secretary in place of the Chairman/Member of the Chhattisgarh Public Service Commission.

(2) The provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vergon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable for the constitution of the selection committee.

7. **Age Limit.-** (1) Age limit for contract appointments shall be the same as prescribed in the departmental recruitment rules for the concerned post or service:

Provided that orders/instructions issued by the General Administrative Department from time to time relating to relaxation in age limit shall also be applicable for contract appointment.

(2) In the case of retired government servant contract appointment may be given for a maximum period of 10 years or up to the age of 70 years, whichever is earlier.

8. **Eligibility criteria and qualifications for appointment.-** (1) The eligibility criteria and qualifications for contract appointment, in all cases except the contract appointment of retired government servant, shall be the same as prescribed in rule 5 and 6 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

(2) (a) Minimum educational qualifications and other qualifications for contractual appointment on the post of direct recruitment shall be the same as prescribed in departmental recruitment rules for such post;

(b) There shall be no restriction of educational qualification for appointment in the case of contract appointment of retired government servant on the post equivalent to the post held prior to retirement, except such post for which legal experience in the judicial service field is required under any law or rule for the time being in force;

(c) In the case of contract appointment of retired government servants, in special cases, contract appointment may be given on higher post, except such post for which legal experience in the judicial service field is required under any law or rule for the time

being in force, on the basis of their special experience, exemplary service record and evaluation of performance.

9. In-eligibility for contract appointment of retired government servants.- (1) On integrity not being certified in service records;

(2) Evaluation of confidential reports/performance of past three years service record not being Very Good/or above category;
(3) Pending departmental enquiry/prosecution;
(4) Punished during the last year of service;
(5) Punished by way of stoppage of pension;
(6) Dismissed/removed or compulsorily retired from service;
(7) On being convicted; and
(8) Other general ineligibilities for government service.

10. Reservation.- The provisions of Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vergon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and rules/instructions issued thereunder shall apply to the posts of contract appointment prescribed in rule 4(1) and (2) along with rules/instructions issued for reservation of women and disabled etc, from time to time.

11. Period of Appointment.- (1) On the contract appointment posts mentioned under rule 4(1), first contract appointment shall be made for a period of three years, however, the State Government may take decision of renewal of contract appointment by extending the period of contract appointment for one year at one time depending on the necessity and after assessing suitability of person appointed on contract.

(2) For posts mentioned under rule 4(2) and (3), contract appointment shall normally be for a period of one year, however on the basis of necessity and after assessing suitability of the person appointed on contract, the department may take decision to renew the period of contract.

(3) On post mentioned in rule 4(4) and (5), in the matter of contract appointment of retired government servant, contract appointment being given as a special case on the basis of their special experience, exemplary service record and evaluation of performance, the period of contract appointment may be for a period of five years, which may be extended by the State Government considering the departmental necessity and suitability of the person appointed on contract, for a further period maximum upto five years, after the opinion of Finance Department and General Administration Department,

(4) Contract appointment shall stand terminated automatically on expiry of the period of the contract appointment and there shall be no need to issue separate order terminating the service.
(5) Either of both the parties may terminate the contact appointment during the period of contract appointment by giving one month's notice in advance or paying one month's salary in its place.

12. **Contract pay.-** (1) Only lump-sum monthly pay shall be payable in contract service and, in addition to this no special pay, dearness allowance, compensatory allowance, house rent allowance, etc. except in cases mentioned under sub-rule (2) of this rule shall be paid and there shall be no eligibility of annual increment under contract appointment.
(2) Determination of lump-sum monthly pay shall be as follows:-
(a) In the case of contract appointment under rule 4(1) and (2), monthly lump–sum pay shall be such as fixed from time to time by the Finance Department by a general or special order issued;
(b) At the time of retirement, contract pay shall be the lump-sum amount payable after deducting the pension (prior to commutation) and dearness relief thereupon, from his basic pay admissible in the pay structure (pay scale as amended) and dearness allowance admissible, at the time of retirement and apart from this he shall be entitled for house rent allowance (if do not possess government accommodation) and city compensatory allowance on the basic pay as getting at the time of retirement and shall also be entitled for pension and dearness relief on pension separately;
(c) In special cases of contract appointment, in the cases of government servants retired on superannuation and/or in the cases of appointment made on the basis of specialization, experience and special qualification, contract appointment being given in such situation on any post/higher post, the pay scale of the concerned post for the time being in force for the period of contract appointment along with other payable incidental benefits may be given with the concurrence of General Administration Department and Finance Department .

13. **Eligibility for leave.-** Employee appointed on contract shall be entitled for 18 days casual leave and 3 days optional leave in each calendar year, and in the case of appointment in the middle of the year, or on termination of his service, calculation of eligibility for casual leave shall be made on proportional basis for full completed months.

Explanation - Incomplete day shall be adjusted/rounded off with the next full day for computation and for Vacation Department calendar year means actual service of 12 months.

14. Traveling Allowance.- (1) Person appointed to the post sanctioned as contract post in the departmental set up, shall be eligible for traveling allowance equivalent to the government servant of the same or equivalent post.

(2) In the case of contract appointment of retired persons, they shall be eligible for traveling allowance and other benefits as payable to government servant for the concerned post/equivalent post.

(3) If for any contract appointment post traveling allowance and other benefits are not prescribed in the rules then the eligibility of traveling allowance and other benefits to the person appointed on such post shall be same as that of the government servant of the same or equivalent post.

15. Other conditions.- (1) Persons appointed on contract shall be governed by the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.

(2) Persons appointed on contract shall not be eligible for any kind of pension, gratuity or death benefit etc. for the period of contract appointment.

(3) Confidential Report of the person, appointed on contract shall be recorded so that his work may be assessed in case he is to be considered for appointment on contract for the next year.

(4) During the term of contract appointment of retired government servants he/they may be transferred to equivalent post in other department and he/they may also be given additional responsibility in addition to the contract post and it shall be mandatory for him/them to accept that.

(5) Person appointed on contract shall have to deposit minimum of 10 percent of his contract pay in L.I.C. pension scheme or PPF for social security of his family and he shall intimate this fact to the appointing authority as to which of the scheme he has opted;

Provided that this provision shall not be applicable to retired government servants.

(6) Retired government servant appointed on contract shall be eligible to retain the government accommodation if he was occupying the government accommodation at the time of retirement and license fee shall be recovered from him as per Rule 45-A of Chhattisgarh Fundamental Rules and he shall also be eligible for medical facilities similar to that of government servants.

16. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the General Administration Department

on which decision of the General Administration Department shall be final.

17. **Power to relax rules.-** Cabinet shall have the power to relax any of the provisions of these rules.

18. **Repeal and savings.-** All the rules and instructions corresponding to these rules which were in force immediately prior to the commencement of these rules, are hereby repealed:

Provided that all contract appointments on the date of coming into force of these rules, shall be deemed to have been made under these rules, subject to the terms and conditions of original appointment for the remaining period of contract.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.